संख्या : 13/21/93-का-1/1995

प्रेषक,

आर०बी०भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 02 फरवरी, 1995।

विषयः- अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एंव शिलान्यास न किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पार्श्वांकित आदेशों के अनुक्रम में शासन की उपरोक्त नीति के सम्बन्ध में पुनः बल देते हुए मुझे आपसे निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि समस्त अधिकारियों को शासन की उक्त नीति को स्पष्ट करते हुए यह बता दिया जाये कि अधिकारीगण कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास न करें अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लें।

1. सं0बी-1752/का-1/82, दिनांक 10-12-82
2. सं016/2/83-का-1/ दिनांक 15-04-83
3. सं03ए0क्यू0/का-1/88, दिनांक 21-04-1988
4. सं013/21/93-का-1/93, दिनांक 4जून, 1993

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को पुनः अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर०बी०भास्कर)
सचिव।

संख्या: 13/21/93-का-1/1995, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महा महिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सचिव।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,